राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(8)राज/वाद/10 पार्ट–I जयपुर, दिनांक: 17/02/2026

—::आदेश::—

राजकीय वादकरण नीति–2018 के बिन्दु संख्या 11.7 मे स्थापित प्रावधानुसार विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग में गठित विशेष प्रकोष्ठ हेतु सृजित संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर सेवानिवृत्त जिला जज से एकमुश्त राशि रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) मासिक दर पर संविदा सेवायें लिये जाने की समयावधि में दिनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

उपापन हेतु RTPP अधिनियम के नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 102600076 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट मद संख्या 2014–00–114–01–00–(41) संविदा सेवायें (गैर आयोजना) से वहन किया जायेगा।

ह0
(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
6. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

17/2/26
शासन सचिव, विधि